

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 2126 /अलीगढ़/13881/यूपी 134/2015, दिनांक, लखनऊ, जून १०, 2016
सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग 2,
लखनऊ।

विषय : अलीगढ़-रागघाट मार्ग (एम्0डी0आर0-105) किमी0 15.150 की बारी पट्टी पर ग्राम-उखलाना के खसरा सं0-1470 में एररार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0768 हे0 रक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: उ0प्र0शासन का पत्रांक-पी-55/14 2-2016-800(59)/2016, दि0 23.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सांदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है विषयगत प्रस्ताव भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 11.07.2014 के आलोक में ही तैयार कर प्रेषित किया गया है। सुलभ सांदर्भ हेतु अवगत कराना है कि लो0नि0वि0 द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान, तादनुसार प्रस्तावित वनभूमि की गणना एवं अनायति आदि प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर पुनर्विचार कर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,
(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20/6/16